

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 671]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 26 दिसम्बर 2020 — पौष 5, शक 1942

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 2 दिसम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक 3192/1654/2020/22-1. — राज्य शासन एतद्वारा विभागीय आदेश क्रमांक पंचा/04/73/2012/54, दिनांक 09-02-2012 में राज्य के ग्रामीण अंचलों के त्वरित एवं सर्वांगीण विकास की पूर्ति के लिए वर्तमान में विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए गठित “छ. ग. राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ावर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण” को निम्नानुसार पुर्नगठित करता है :-

1 - उद्देश्य -

1. ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना.
2. राज्य के ग्रामीण एवं नगर पंचायतों के विकास के लिए क्षेत्रीय नेतृत्व से सलाह प्राप्त कर अल्पकालिक योजनाओं का निर्माण करना.
3. राज्य के विकास के लिए जनआकांक्षाओं के अनुरूप छोटे-छोटे निर्माण कार्यों की त्वरित स्वीकृति करना.
4. ग्रामीण क्षेत्रों के क्षेत्रीय/ढांचागत विकास, ताकि यह क्षेत्र भी विकास के मामले में कस्बों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं के स्तर तक क्रमबद्ध तरीके से पहुंच सके.
5. ग्रामीण विकास से संबंधित नीतियों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार क्षेत्रीय विकास के लिए राज्य शासन को आवश्यक सुझाव देना.
6. प्राधिकरण क्षेत्र के विकास के कार्यक्रमों में पिछड़ावर्ग समुदाय के लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना.

2- प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र -

प्राधिकरण का कार्य सम्पूर्ण राज्य है, जिसमें सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्र तथा नगर पंचायत के क्षेत्र सम्मिलित होंगे. समूचे राज्य में लागू बस्तर एवं सरगुजा सहित.

3 - प्राधिकरण का गठन -

- | | |
|---|-----------|
| 1. निर्वाचित अन्य पिछड़ावर्ग के विधायक (शासन) | अध्यक्ष |
| 2. निर्वाचित अन्य पिछड़ावर्ग के विधायक (02 पद) (शासन) | उपाध्यक्ष |
| 3. प्राधिकरण क्षेत्र के निर्वाचित सांसद | सदस्य |
| 4. निर्वाचित विधायकगण | सदस्य |

- | | | |
|----|---|------------|
| 5— | क्षेत्र के जिला पंचायत अध्यक्ष | सदस्य |
| 6— | ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकतम 6 समाजसेवी
व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत) | सदस्य |
| 7— | आयुक्त सह संचालक, पंचायत संचालनालय,
नवा रायपुर | सदस्य-सचिव |

प्राधिकरण अपनी बैठकों में नियमित रूप से अथवा विशेष रूप से प्राधिकरण क्षेत्र के किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगा।

4— प्राधिकरण की बैठकें—

प्राधिकरण की बैठकें प्रत्येक तिमाही होगी। बैठक स्थल, दिन, समय एवं चर्चा के बिन्दुओं (एजेण्डा) की संसूचना प्राधिकरण के समस्त सदस्यों को सदस्य-सचिव द्वारा निर्धारित तिथि से कम से कम सात दिवस पूर्व दी जावेगी। बैठक में लिए निर्णयों/संस्तुतियों से सभी सदस्यों को बैठक की कार्यवाही विवरण के माध्यम से अवगत कराया जावेगा।

5— प्राधिकरण के कार्य एवं शक्तियाँ—

1. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की अल्पकालिक योजनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाएगा तथा योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा और अनुश्रवण सुनिश्चित करेगा।
2. प्राधिकरण को योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने और उनके अनुकूलतम उपयोग के लिए संबंधित विभाग को दिशा-निर्देश/मार्गदर्शन देने का अधिकार होगा। संबंधित विभाग तदनुसार योजनाओं को बजट में समावेश कर बजट आबंटन उपलब्ध करायेंगे।
3. प्राधिकरण राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई अनाबद्ध राशि (अन्टाईट फण्ड) का आबंटन, उन प्रयोजनों के लिए जिनकी क्षेत्र में नितांत आवश्यकता हो, किए जाने का निर्णय ले सकेगा।
4. प्राधिकरण को शासकीय योजनाओं को क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप स्वीकृत करने, परिमार्जित करने, संशोधित करने अथवा निरस्त करने संबंधी सुझाव दे सकेंगे।
5. ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के हितों को संरक्षण दिलाने के लिए प्रचलित शासकीय नीतियों एवं विधिक प्रावधानों के अनुसरण में संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश/मार्गदर्शन देने का अधिकार होगा।
6. प्राधिकरण क्षेत्र के विभिन्न स्त्रोंतों से उपलब्ध राशि का सर्वोत्तम व समन्वित उपयोग सुनिश्चित करेगा।

8. प्राधिकरण ग्रामीण व नगर पंचायत क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा।
9. स्थानीय स्तर पर ऐसे समस्त विधिक कार्य संपादित करने की शक्ति होगी, जो प्राधिकरण के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक हो।

6— निर्णयों का क्रियान्वयन—

प्राधिकरण के द्वारा लिए गए निर्णयों एवं वित्तीय स्वीकृतियों की संसूचना सदस्य-सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया जावेगा तथा सर्वसंबंधितों द्वारा उनका पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

7— प्राधिकरण की निधि—

1. प्राधिकरण निधि का उपयोग प्राधिकरण के निधि नियम के अनुरूप किया जाएगा।
2. राज्य शासन द्वारा प्राधिकरण को प्रतिवर्ष रुपये 50 करोड़ या इससे अधिक विकल्प राशि उपलब्ध कराई जावेगी।
3. इसके अतिरिक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते, कार्यालयीन एवं अन्य व्यय हेतु रु. 2.00 करोड़ राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त उपलब्ध कराई जाएगी।
4. राज्य शासन द्वारा प्राधिकरण को प्रतिवर्ष उपलब्ध कराये गये मुख्य बजट में से आकस्मिक व्यय हेतु 3 प्रतिशत या 2.50 करोड़ जो दोनों में कम हो, राशि व्यय का प्रावधान होगा।
5. प्राधिकरण को उक्त राशि से आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छोटे-छोटे निर्माण कार्यों की स्वीकृति का अधिकार होगा। (यह क्रमांक मूल प्रारूप में 7.3 पर अंकित है, अतः यह यथावत है)
6. प्राधिकरण से स्वीकृत राशि का लेखा परीक्षण जिला स्तर पर किया जाएगा। मुख्यालय स्तर पर लेखा का संधारण कोष एवं लेखा के निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

8— प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को सुविधाएं—

1. प्राधिकरण के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। प्राधिकरण के अध्यक्ष के निजी कार्यालय के लिए स्टाफ की व्यवस्था, राज्य शासन द्वारा निर्धारित सुविधाओं के अनुरूप होगा। यह सुविधाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जाएगी।
2. प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निजी कार्यालय के लिए स्टाफ की व्यवस्था, राज्य शासन द्वारा निर्धारित सुविधाओं के अनुरूप होगा। यह सुविधाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जाएगी।

3. प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों के निजी कार्यालय के लिए 01 पद-उप संचालक, 01 पद-सहायक संचालक, 01 पद-कार्यपालन अभियंता, 01 पद-सहायक अभियंता, 03 पद-सहायक ग्रेड-03/निज सहायक, 03 पद-डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं 03 पद-भृत्य का सेटअप राज्य शासन द्वारा निर्धारित सुविधाओं के अनुरूप होगा।

9- प्रकोष्ठ-

प्राधिकरण के सुझाव/संस्तुतियों पर क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाओं द्वारा की गई कार्रवाईयों का सतत् अनुश्रवण अध्यक्ष, प्राधिकरण के द्वारा कार्यालय पंचायत संचालनालय में एक "प्रकोष्ठ" का गठन कर किया जाएगा।

"प्रकोष्ठ" में एक द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयीन स्टाफ होगा। इन कर्मचारियों के वेतन, भत्तों की व्यवस्था संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा की जाएगी।

10- मूल्यांकन/पर्यवेक्षण-

प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कार्यों का मूल्यांकन/पर्यवेक्षण आंतरिक एवं बाह्य एजेंसी से करवाने का दायित्व जिला कलेक्टर का होगा। इस हेतु जिला स्तर पर पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षण दल का गठन भी किया जाएगा। मूल्यांकन प्रपत्रों को जिला स्तर पर रखा जाएगा। इन प्रतिवेदनों के आधार पर संबंधित जिला के कलेक्टर द्वारा पर्यवेक्षण/मूल्यांकन का त्रैमासिक प्रतिवेदन, आयुक्त, पंचायत संचालनालय तथा प्राधिकरण प्रकोष्ठ को प्रेषित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मो. कैसर अब्दुलहक, विशेष सचिव.